

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
॥ कार्यालय आदेश ॥

संचिका सं०-04/NULM-26/16

२३३

पटना, दिनांक-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत SM&ID घटक के अधीन 8 नगर निकायों में गठित किये गये 416 स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दी जाने वाली आवर्ती राशि (Revolving Fund) प्रति स्वयं सहायता समूह रू० 10,000.00 (दस हजार रू० मात्र) की दर से  $416 \times 10000.00 =$  कुल 4160000.00/- रू० (इकतालीस लाख साठ हजार रू० मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगर निकायवार विमुक्त की जाने वाली स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	SHG की संख्या	दर प्रति SHG	कुल राशि
1.	किशनगंज	30	10,000/-	300000.00
2.	मुंगेर	58	10,000/-	580000.00
3.	मधेपुरा	35	10,000/-	350000.00
4.	बीहट	05	10,000/-	50000.00
5.	हाजीपुर	25	10,000/-	250000.00
6.	सहरसा	98	10,000/-	980000.00
7.	सीतामढ़ी	50	10,000/-	500000.00
8.	बेगूसराय	115	10,000/-	1150000.00
		416	कुल	4160000.00

(इकतालीस लाख साठ हजार रू० मात्र)

- सारणी में अंकित नगर निकाय के संबंधित स्वयं सहायता समूह की सूची संलग्न है।
- नगर निगम, बेगूसराय को दो ALF क्रमश शांति महिला मंच एवं मा त्रिपुर सुन्दरी महिला मंच हेतु प्रति ALF रू० 50000.00 (पचास हजार रू० मात्र) की दर से कुल 100000.00 (एक लाख रू०) भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।
- संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी स्वीकृत राशि का भुगतान स्वयं सहायता समूह (SHG)/ALF को RTGS के माध्यम से करेंगे।
- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :-04/NULM-26/16- 1612

न०वि०एवंआ०वि०/दिनांक- 7/7/17

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/टीम लीडर, PMC- NULM, इन्दिरा भवन, 7वाँ तल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/7/17

विशेष सचिव।